MOST URGENT

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(1)2012/गोप्र/प्रमुवस/ 5807-25 दिनांक 1 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2012

निमित,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर
वन्य जीव, भरतपुर/वन्य जीव, सवाईमाधोपुर/वन्य जीव, कोटा/वन्य जीव, उदयपुर/
वन्य जीव, जोधपुर/वन्य जीव, जयपुर/एनटीएफपी, जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/एफपीआर, जयपुर/
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वाप्रसं, जयपुर
वन वर्धन, जयपुर/आरवीपी, कोटा/

विषय :– वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की क्षेत्रीय द्वितीय की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने बाबत

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक सम 2357–79/सी दिनांक 21.9.2012 तथा 19353–78/सी दिनांक 17.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की क्षेत्रीय द्वितीय की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन चल रही है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपके द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पदस्थापित वनपालों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचनायें अभी तक भी उपलब्ध नहीं करवाये जाने के परिणामस्वरूप अभी तक क्षेत्रीय द्वितीय की पदोन्नति किये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। जिन वनपालों के नाम क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भावित है, परन्तु ऐसे वनपालों के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें (यथा सेवा विवरण/जांच/दण्ड/संतान संबंधित शपथ–पत्र/एसीआर की टिप्पणी आदि) अभी तक भी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, उनकी सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है तथा आपके कार्यालय को फैक्स के माध्यम से तथा व्यक्तिगत तौर पर भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया आप व्यक्तिगत रूचि लेकर आपके कार्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचनायें संबंधित अधिकारी/लिपिक के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 5.11.2012 तक किसी भी स्थिति में उपलब्ध करने का कष्ट करावें।

इस कार्यालय के पत्रांक सम दिनांक 17.10.2012 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि सम्भावित पात्र वनपालों की एसीआर डोजीयर्स संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वर्तमान में वनपाल के पदस्थापन से संबंधित मुख्य वन संरक्षक) अपने कार्यालय में संकलन उपरान्त रखेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाने तथा चाहे जाने पर उपलब्ध करायेंगे, परन्तु फिर भी कतिपय मुख्य वन संरक्षक/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय को वनपालों की एसीआर डोजीयर्स/एसीआर प्रेषित की जा रही है, जो उक्त पत्र की भावना के अनुरूप नहीं है तथा कार्मिक की एसीआर भी अलग–अलग कार्यालयों में (डोजीयर/पृथक–पृथक एसीआर) होने से सूचना संकलन में अनावश्यक विलम्ब भी होता है। यदि किसी वनपाल की एसीआर में स्वीकारोक्ति टिप्पणी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा अंकित की जानी हो तो ऐसी एसीआर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित कर टिप्पणी उपरान्त वापस मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में संधारित किये जाने के सम्बन्ध में भी आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही करावें। **जिन वनपालों की एसीआर की टिप्पणी अभी तक इस कार्यालय को किसी कारणवश उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनकी एसीआर की टिप्पणी ही इस कार्यालय को भिजवाई जावे।**

इस कार्यालय के आदेश संख्या 2413/सी दिनांक 13.8.2010 द्वारा दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार जारी की गई प्रोविजिनल वरिष्ठता सूची में वनपालों के नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि/संवर्ग में नियुक्ति तिथि/शैक्षणिक योग्यता/तकनीकि (वनपाल/वनरक्षक प्रशिक्षित) योग्यता/एस.सी./एस.टी. आदि अंकित विवरण में यदि आपके द्वारा कोई भिन्नता किसी भी कॉलम में पाई जाती है तो, उसके संशोधन हेतु (आधार/प्रमाण सहित) इस कार्यालय को दिनांक 5.11.2012 से पूर्व आवश्यक रूप से अवगत कराने का कष्ट करावें ताकि अन्तिम रूप से प्रकाशित वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा उक्तानुसार संशोधन के प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व संबंधित वनपाल के सेवाभिलेख का भली–भांति अवलोकन करलें ताकि संशोधनोपरान्त किसी वनपाल के संबंध में गलत सूचना का प्रकाशन नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के आदेश दिनांक 13.8.2010 से प्रकाशित वरिष्ठता सूची में अंकित वनपाल में से कोई वनपाल दिनांक 1.4.2010 से पूर्व ही स्वैच्छिक सेवानिवृत/स्वर्गवास/बर्खास्त/नौकरी छोडने/अन्य पद पर पदस्थापित होने/अन्य किसी कारणवश दिनांक 1.4.2010 को वनपाल के पद पर पदस्थापित नहीं हो तो उसके सम्बन्ध में भी विस्तृत/स्पष्ट सूचनायें प्रमाण सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उनके नाम विलोपित किये जाने की कार्यवाही की जाना सम्भव हो सके।

यह भी ध्यान में आया है कि कतिपय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कार्मिक की एसीआर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सेवायें संतोषप्रद होने का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पदोन्नति की कार्यवाही में कार्मिक की एसीआर उपलब्ध होना अत्यावश्यक है, यदि किसी कारणवश एसीआर उपलब्ध नहीं होती है तो नियमानुसार निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे :–

1. कार्मिक की एसीआर से संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी में से किसी भी अधिकारी के सेवारत नहीं होने से उनकी टिप्पणी अंकित कराया जाना सम्भव नहीं हो सके अथवा अन्य किसी विशेष कारणवश (यथा–कार्मिक के निलम्बित होने, आदेशों की प्रतीक्षा में होने, एसीआर खुद–बुर्द होने, लम्बे समय पर अवकाश पर होने, किसी प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन 90 दिवस से कम कार्यरत रहने आदि) तत्कालीन नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस आशय का उल्लेख करते हुये प्रमाण–पत्र जारी कर सेवाभिलेख के आधार पर सेवायें सन्तोषप्रद/असन्तोषप्रद होने की सूचना कार्मिक की एसीआर डोजीयर में संकलित किया जावे।
2. कार्मिक की एसीआर से संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी में से यदि कोई भी एक अथवा दो अधिकारी (अन्य अधिकारी के सेवारत नहीं होने की स्थिति में) सेवारत हो तो उनसे एसीआर की पूर्ति करवा कर डोजीयर में संधारित करावें।
3. यदि वर्तमान में कोई कार्मिक सेवारत नहीं हो तो उसकी जिस अवधि की एसीआर अनुपलब्ध है उसके सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है। अर्थात् एसीआर के भाग–II या भाग–III या भाग– IV की पूर्ति तदानुसार ही करवाई जावे।

क्षेत्रीय द्वितीय की पदोन्नति के सम्बन्ध में जिन वनपालों के सम्बन्ध में सूचनायें आपके कार्यालय से अपेक्षित है, वे सूचनायें दिनांक 5.11.2012 तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार को आपके विरूद्ध Show Cause Notice जारी करने हेतु निवेदन कर दिया जावेगा।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF)
राजस्थान, जयपुर